श्रेणी
SERIES : II

Daman 30th August, 2019 8 Bhadra, 1941 (Saka) सं. No. : 30

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

UT. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU
HEAD OF SPORTS DEPARTMENT,
NEAR FOOTBALL GROUND,
MOTI DAMAN – 396 220

No. DMN/SPORTS/SPORTS POLICY/2019-20/69 **Dated : 23/08/2019**

NOTIFICATION

The Hon'ble Administrator, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli is pleased to amend the notification No.DMN/SPORTS/SPORTS POLICY/2015-16/650 dated: 29/02/2016 by inserting the following paragraphs 15 (d) & (e) as below :

"15 (d) Cash Award for outstanding achievement in Adventure activities in different categories:

Sports Department, Daman will also award lumsum grant/incentives to the person having achieved extraordinary feat in adventure sports like Climbing Mount Everest and other Mountain peaks as per following norms:

(a) For scaling Mt. Everest : Cash Award of Rs. 3 lakh will be given

(b) For scaling other Mountain peaks more than 8000 M : Cash Award of Rs. 2 lakh will be given

(c) For scaling highest mountain peaks of different continents : Rs. 2 lakh will be given in each case.

Contd./---

SERIES II No. : 30
DATED : 30TH AUGUST, 2019.

(d) Others : To be decided on merit of each case following due procedure. The maximum ceiling of award shall be Rs. 3 lakh.

15 (e) Guidelines for Cash Award for Achievement in Adventure Activities

(a) The Achiever has to be a resident of Daman and Diu. To this effect the applicant has to submit a valid residency certificate from the Competent Authority, Daman/Diu.

(b) Affidavit from the participant declaring that all the facts mentioned in the application are true and he has not availed any such assistance from any other State/UT Govt.

(c) For consideration of the above Assistance the participant has to submit all relevant records, paper clippings and certificates.

(d) No award will be given for a second time to the same person under same category

(e) Cash Award will be given for the achievement made in the current calendar year (1st January – 31st December)."

All the contents of the original notification will remain same.

By order and in the name of the
Administrator of Daman & Diu and DNH.

Sd/-
(Harminder Singh)
Deputy Secretary (Sports),
Daman & Diu.

***

SERIES II No. : 30
DATED : 30TH AUGUST, 2019.

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
अध्यपक्षक्रीड़ा विभाग
फुटबॉल ग्राउण्डष के पास़
मोटी दमण - 396 220

सं. दमण/क्रीड़ा/क्रीड़ा नीति/2019-20/69, **दिनांक 23/08/2019**

अ धि सू च ना

मानननीय प्रशासक दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली निम्ननलिखित अनुच्छेपदों-15 (डी) एवं (ई) को अधिसूचना सं. दमण/ क्रीड़ा / क्रीड़ा नीति/2015-16/650, दिनांक 29/02/2016 में शामिल कर निम्ना नुसार संशोधन करते हैं :-

"15 (डी) विभिन्नर श्रेणियों में साहसिक गतिविधियों में उत्कृ ष्ट् उपलब्धि हेतु नगद पुरस्कापर :

क्रीड़ा विभाग, दमण माऊँट एवरेट्स एवं अन्यं पहाड़ी चोटियों पर चढ़ने जैसे साहसिक खेलों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले व्ययक्तियों को एकमुश्त अनुदान/प्रोत्साहन देगा :

(क) माऊँट एवरेट्स की चढ़ाई हेतु : 03 लाख रूपये का नकद पुरस्कातर दिया जायेगा ।

(ख) 8000 मीटर से अधिक ऊँची अन्या पहाड़ की चोटियों की चढ़ाई हेतु : 02 लाख रूपये का नकद पुरस्का र दिया जायेगा ।

(ग) अन्य महादेशों के पहाड़ की चोटियों की चढ़ाई हेतु : प्रत्येसक मामले में 02 लाख रूपये का नकद पुरस्कायर दिया जायेगा ।

(घ) अन्य : प्रत्येयक मामले की उचित प्रक्रिया का पालन करने पर योग्याता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा । पुरस्काहर की अधिकतम सीमा 03 लाख रूपये होगी ।

जारी/---

SERIES II No. : 30
DATED : 30TH AUGUST, 2019.

15 (ई) साहसिक गतिविधियों में उपलब्धि हेतु नगद पुरस्काकर के लिए दिशा-निर्देश

(क) विजेता को दमण एवं दीव का निवासी होना चाहिए । आवेदक को सक्षम प्राधिकारी दमण/दीव से इस आशय का वैध आवास प्रमाणपत्र जमा करना होगा ।

(ख) भाग लेने वाले आवेदक को यह घोषणा करते हुए शपथ पत्र प्रस्तु त करना होगा कि आवेदन में उल्लिखित सभी तथ्यष सही है और उसमें किसी अन्य राज्यम/संघ प्रदेश सरकार से ऐसी कोई भी सहायता नहीं ली है ।

(ग) उपरोक्तम सहायता पर विचार करने हेतु भाग लेने वाले आवेदक को सभी संगत अभिलेख , समाचार पत्रों की क्लिपिंग और प्रमाणपत्र जमा करने होंगे ।

(घ) एक ही श्रेणी में एक ही व्यिक्ति को दूसरी बार पुरस्का र नहीं दिया जायेगा ।

(ङ) वर्तमान कलैण्डणर वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसम्बिर) में हासिल की गई उपलब्धियों के लिए नकद पुरस्कालर दिया जायेगा ”।

मूल अधिसूचना की अंतर्वस्तु समान रहेगी ।

प्रशासक, दमण एवं दीव
तथा दा.न.ह. के नाम से

ह./-

(**हरमिन्द र सिंह**)
उप-सचिव (क्रीड़ा)

***

Government Printing Press, Daman - 08/2019 – 15.
[Price Rs. 2.00]